न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 43/2018

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा		1. दिनेश कुमार पुत्र धनराज अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी वडोदरा, गुजरात (मालिक टैंकर संख्या जीजे 06 एयु 2184) 2. मोहनसिंह पुत्र धीसासिंह जाति राजपूत निवासी सदारन भीम, जिला राजसमंद (राजस्थान) (टैंकर ड्राईवर) 3. अर्जुन कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, सुभाष नगर, मार्ग, पाल रोड़, जोधपुर (मालिक टाटा टेम्पो सं. आरजे 19/जीएफ 6413) 4. आसूसिंह पुत्र शैतानसिंह निवासी धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर (टेम्पो चालक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्यामलाल सिंघल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री रामस्वरूप शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश

दिनांक : 22.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य [illegible] है कि दिनांक 09.07.2018 को पुलिस थाना पचपदरा द्वारा [illegible] कि पचपदरा से जोधपुर हाईवे पर होटल धीर तेजा के आगे गैस टैंकर से एलपीजी गैस निकालकर सिलेण्डरों में भरने का कार्य किया जा रहा हैं, इस पर प्रार्थी ने मौके पर पहुंच कर पाया कि एचपी कम्पनी का टैंकर सं. जीजे 06 एयु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

2184 खड़ा था एवं इसके बराबर 6 व्यवसायिक सिलेण्डर एक कतार में रखे हुए एवं बीच के दो सिलेण्डरों को एक वाल्व जिसमें आगे दो पाईप रबर की लगी हुई पाई एवं वाल्व को गैस टैंकर के वाल्व से जोड़ा हुआ पाया गया। इस प्रकार उक्त टैंकर के चालक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलकर अवैध रूप से टैंकर से एलपीजी निकाल कर सिलेण्डरों में भरे जाने का कार्य किया जा रहा था जो एलपीजी आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से आवश्यक अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। मौके पर उक्त गैस टैंकर के चालक के बारे में पता किया तो वह मौके से भाग गया था तथा टैंकर की तलाशी में ड्राईविंग लाईसेंस मिला जो अप्रार्थी सं. 2 मोहनसिंह के नाम से था। टैंकर के गैस परिवन की अनुमति अप्रार्थी सं. 1 के नाम थी जो दिनांक 07.07.2018 को एचपीसीएल प्लांट, गांधीनगर एस.आर. गुजरात के भरकर जोधपुर एचआरसीसी के प्लांट में खाली होने के लिये रवाना हुआ, जिसका खरीद मीमो वक्ता निरीक्षण पाया गया। टैंकर के पीछे बिना नम्बरी टेम्पो चैसिस नम्बर एमएटी 5350001जेजेडई 31903 खड़ा पाया, जिसमें 6 खाली व्यवसायिक सिलेण्डर रखे हुए पाये। टेम्पो में सवार चालक अप्रार्थी सं. 4 ने पूछताछ में बताया कि टैंकर चालक अप्रार्थी सं. 2 ने फोन से बताया कि पचपदरा स्थित होटल तेजा पर आ जाये, आपको सिलेण्डर भरकर दे देंगे। इस पर 12 सिलेण्डर जोधपुर से लेकर भरवाने हेतु पहुंचे हैं तथा गैर सिलेण्डर भरना शुरू ही किया था कि मौके पर पुलिस ने आकर रिफीलिंग बंद करवा दी हैं। उक्त टेम्पों चालक एवं उसके मालिक के पास एलपीजी परिवहन का कोई वैध लाईसेंस नहीं होना बताया गया। इस प्रकार मौके पर एचपी कम्पनी के गैस टैंकर नम्बर जीजे 06 एयु 2184 से अवैध रूप से सिलेण्डरों में गैर रिफलिंग करने का कार्य किया जाना दण्डनीय अपराध हैं। अतः उक्त टैंकर मय गैस, गैस रिफलींग हेतु काम में लिया जा रहा वाल्व जिसके आगे लगी दो पाईप व निप्पल, टैंकर में पाये गये दस्तावेज, टाटा टेम्पो, सिलेण्डर पर लगने वाले चार ढक्कन, 15 सीलें, आईओसी के पांच एवं एचपीसीएल के सात व्यवसायिक सिलेण्डर मय 10 किलोग्राम गैस जब्त सरकार किये गये जिसमें से गैस सिलेण्डर मैसर्स चौधरी गैस सर्विस बालोतरा तथा गैस टैंकर मय गैस एवं टाटा टेम्पो थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा को अभिरक्षा मे सुपुर्द किये गये। अप्रार्थीगण आसूसिंह, अर्जुन कुमार, मोहनसिंह व दिनेश कुमार द्वारा किया गया उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है, अतः सीजशुदा गैस टैंकर मय गैस, टाटा टेम्पो एवं 12 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इसके साथ ही जब्तशुदा सिलेण्डरों एवं गैस टैंकर में भरी हुई एलपीजी प्रकृत्या विस्फोटक एवं क्षयशील पदार्थ होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए(।।) के तहत अन्तरीम निस्तारण के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया ।

3. अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मनगढत व झूठी रिपोर्ट पेश कर यह मुकदमा दर्ज कराया हैं। अप्रार्थी सं. 2 वाहन चालक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया गया हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 वाहन टैंकर का मालिक होने से उसके विरूद्ध यह प्रकरण पेश किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 का वाहन पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन करने के लिये अधिकृत हैं जिसके लिये सभी दस्तावेज यथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, गुजरात सरकार द्वारा जारी किया गया नेशनल परमिट इत्यादि सभी पाये गये हैं। उक्त वाहन टैंकर में दिनांक 07.07.2018 को पट्रोलियम रिफाईनरी जामनगर से पेट्रोलियम पदार्थ (एलपीजी) का परिवहन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 के लिये गुजरात से भगत की कोठी, जोधपुर एलपीजी प्लांट के लिये भरकर निर्धारित सड़क मार्ग से लाया जा रहा था। यह वाहन दिनांक 08.07.2018 को रात्रि के 11 बजे तक पचपदरा बस स्टेण्ड तक पहुंचा, जहां उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करने के लिये वाहन रोक दिया, क्योंकि पेट्रोलियम कम्पनियो के निर्देश हैं कि रात्रि 11 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक वाहन नहीं चलाया जावें। वाहन चालक ने वाहन खड़ा करके वाहन के उपर जाकर सो गया तथा सुबह जल्दी दिनांक 09.07.2018 को हल्ला सुनकर उठा व नीचे उतरा तब तक पास खड़े अन्य टैंकर जा चुके थे लेकिन पचपदरा के तत्कालीन थानाधिकारी ने वाहन चालक मोहनसिंह को नहीं जाने दिया व उसे डराने, धमकाने लगा जिस पर मोहनसिंह टैंकर छोड़कर चला गया। उक्त वाहन में भरी गई एलपीजी गैस ज्वलनशील होने से थानाधिकारी ने इसे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को सूचित किया एवं कम्पनी की ओर से आसूसिंह को अधिकृत किया गया जिसे उक्त टैंकर सुपुर्द करने पर टैंकर में भरी हुई 17800 किलोग्राम गैस डीपों में खाली कराकर रसीद दी गई है। इस प्रकार टैंकर में भरी हुई गैस को पुलिस थानाधिकारी द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भगत की कोठी में खाली कराई जा चुकी हैं ऐसे में प्रार्थी द्वारा उक्त गैस को राजसात कराने का कोई मामला ही नहीं बनता हैं। अतः प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व के वाहन गैस टैंकर से परिवहन किये जा रहे पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी गैस का अवैध रूप से सिलेण्डरों में रिफिलिंग कराई जा रही थी जिस पर उक्त गैस टैंकर, सिलेण्डर एवं सिलेण्डर परिवहन हेतु प्रयोग में लिया गया टेम्पो मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के (1 का बी.सी.), 4 के(1 का क, घ एवं 2), 6 व 7 का (1 का सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने बावजूद सूचना उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही प्रतिवाद किया है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि उसके द्वारा कम्पनी अधिकृत परमिट पर जामनगर रिफाईनरी से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भगत की कोठी डीपो तक टैंकर के जरिये एलपीजी का परिवहन किया जा रहा था। वक्त घटना वाहन चालक रात्रि के समय टैंकर खड़ा कर उपर सोया हुआ था जिसने किसी प्रकार की रिफलींग का कार्य नहीं किया एवं थानाधिकारी द्वारा धमकाये जाने पर डरकर भाग गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब घटना की परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कतई विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। इसके विपरित टेम्पो चालक ने अपने बयानों में बताया हैं कि टैंकर चालक स्वंय ने उन्हे फोन कर गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु बुलाया तथा मौके पर गैस सिलेण्डर भरते हुए पकड़े गये हैं। इस प्रकार कम्पनी अधिकृत परिमिट पर गैस टैंकर से एलपीजी का परिवहन करते हुए बीच रास्ते में गैस की चोरी करते हुए अनाधिकृत एवं अवैध रूप से सिलेण्डर्स की रिफिलींग करना एवं उनको विक्रय के आशय से परिवहन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य हैं जिसके लिये पुलिस थाना पचपदरा में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 115 दिनांक [illegible].07.2018 दर्ज हुई हैं तथा इसके फलस्वरूप उपरोक्त सीजशुदा [illegible] गैस टैंकर मय गैस, टाटा टेम्पो एवं 12 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर [illegible] राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:32 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के उल्लंघन के फलस्वरूप उपरोक्त सीजशुदा गैस टैंकर न. जीजे 06 एयु 2184 मय गैस, टाटा टेम्पो सं. आरजे 19/जीएफ 6413 एवं 12 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय नजीर 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज मे वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा द्वारा जब्त एवं इस न्यायालय द्वारा राजसात किये गये उक्त गैस टैंकर न. जीजे 06 एयु 2184 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य दस लाख जुर्माना वाहन मालिक अप्रार्थी सं. 1 दिनेश कुमार पुत्र धनराज अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी वडोदरा, गुजरात एवं टाटा टेम्पो संख्या आरजे 19/जीएफ 6413 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य तीन लाख जुर्माना वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 3 अर्जुन कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, सुभाष नगर, मार्ग, पाल रोड़, जोधपुर पर अधिरोपित किया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात की गई उक्त गैस की राशि के अतिरिक्त है, जो वाहन मालिक द्वारा उक्त जुर्माना राशि अदा कर दें तो उक्त राजसात किये गये दोनो वाहन उन्हे नियमानुसार सुपर्द कर दिये जावें। यदि वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त दोनो वाहन गैस टैंकर व टाटा टेम्पो राज्य पक्ष मे निस्तारण करवावें। सीजशुदा एवं राजसात टैंकर में भरी पाई गई गैस एवं 12 सिलेण्डर मय गैस के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष मे नियत मद मे जमा कराई जावें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:32 IST
Reason: SelfAttested

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर